

पत्रांकः— वन भूमि—10 / 2020..... / प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

कमलजीत सिंह,  
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,  
A-2 श्यामली, राँची—834002

पटना—15, दिनांक.....

**विषय** :— मुंगेर एवं जमुई जिलान्तर्गत NH-333 के 2, 14, एवं 43वें किमी पर (बरियारपुर—लक्ष्मीपुर खण्ड) RCC उच्च स्तरीय ब्रीज के निर्माण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 1.206 हेठो वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय, मुख्यालय मुंगेर द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या—921 (ई०) दिनांक—28.08.1997 के अंतर्गत “सुरक्षित वन” के रूप में अधिसूचित है, परन्तु भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित परियोजना में 1.206 हेठो वन भूमि अपयोजन प्रस्तावित है तथा इस परियोजना में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किये जाने की अनुशंसा की गयी है। विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0.4 अंकित किया गया है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, जमुई एवं मुंगेर द्वारा FRA, 2006 प्रमाण—पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक—11—43 / 2013—FC दिनांक—26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण—पत्र के ही प्रस्ताव पर स्टेज—1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार को अग्रसारित किया गया है।

प्रस्तावित अपयोजन प्रस्ताव के लिए रेखांकित टोपो सीट तथा गुगल अर्थ की प्रति संलग्न किया गया है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल— 1.206 हेठो अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 2.412 हेठो अर्थात् 2.50 हेठो अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, मुंगेर के धरहारा प्रक्षेत्र अन्तर्गत बसोनी PF को चिह्नित करते हुए कुल—5,38,866/- (पाँच लाख अड़तीस हजार आठ सौ छियासठ रुपये) मात्र के राशि का वृक्षारोपन का प्राक्कलन संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :—

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत् रहेगा।

2. 1.206 हेठो वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में ₹ 8.03 लाख प्रति हेठो के दर से ₹ 9,68,418/- (नौ लाख अड़सठ हजार चार सौ अठारह रुपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाले 1.206 हेठो वनभूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए मुंगेर वन प्रमंडलन्तर्गत 2.50 हेठो अवकृष्ट वन भूमि बसोनी सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए ₹ 5,38,866/- मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन  
हेठो/  
(कमलजीत सिंह)  
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव


**ज्ञापांक** :— वन भूमि—10/2020...../प०व०, पटना—15, दिनांक.....

**प्रतिलिपि** :—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय मुख्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हेठो/  
(कमलजीत सिंह)  
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव

**ज्ञापांक** :— वन भूमि—10/2020 ३२२ (३२२) प०व०, पटना—15, दिनांक ०५/०३/२०२०.....

**प्रतिलिपि** :—आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब—साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट—2 उपलब्ध कराया जाय।

  
(कमलजीत सिंह)  
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव